



NGO का FCRA पंजीकरण रद्द करना

प्रलिस के लिये:

वदिशी अंशदान वनियिमन अधनियिम, **NGO**, कंपनी अधनियिम, 2013, भारतीय ट्रस्ट अधनियिम, 1882, सोसायटी पंजीकरण अधनियिम, 1860, NGO-दर्पण प्लेटफॉर्म।

मेन्स के लिये:

भारत में गैर सरकारी संगठनों का वनियिमन, FCRA के प्रमुख प्रावधान।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

दो प्रमुख **गैर-सरकारी संगठनों (NGO)**- सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) और वर्ल्ड वज़िन इंडिया (WVI) के लिये वदिशी अंशदान वनियिमन अधनियिम, 2010 (FCRA) पंजीकरण रद्द किये जाने से भारत में वदिशी अंशदान को नयित्तरति करने वाले नयिमक परदृश्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

CPR और WVI के पंजीकरण रद्द करने का क्या कारण है?

- **गृह मंत्रालय के अनुसार** CPR ने विकास परियोजनाओं के वरिद्ध कानूनी चुनौतियाँ प्रस्तुत करने तथा भारत में वरिद्ध प्रदर्शनों हेतु वत्तीय सहायता प्रदान कर भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचाने के लिये वदिशों से प्राप्त अंशदान का दुरुपयोग किया है।
 - उदाहरण के तौर पर वायु प्रदूषण पर CPR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप में करेंट अफेयर्स कार्यक्रमों के उत्पादन के माध्यम से FCRA मानदंडों का उल्लंघन शामिल है।
 - गृह मंत्रालय का दावा है कि वदिशी फंड से ऐसे कार्यक्रम प्रकाशित करना **FCRA की धारा 3 का उल्लंघन** है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक कथित FCRA उल्लंघन के लिये **वर्ल्ड वज़िन इंडिया** का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।
 - वर्ष 1986 में अधनियिम के तहत **पंजीकृत सभी गैर सरकारी संगठनों के बीच WVI सबसे अधिक वदिशी दान प्राप्तकर्ता** है।

FCRA क्या है?

- **परिचय:**
 - वदिशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने के लिये स्वतंत्र संगठनों की सहायता से किये जाने वाले वत्तिपोषण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए FCRA को वर्ष 1976 में **आपातकाल** के दौरान अधनियिमित किया गया था।
 - इसे एक **संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य** के सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हुए आंतरिक सुरक्षा पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये वदिशी अंशदान को वनियिमित करने हेतु डिज़ाइन किया गया था।
- **FCRA का विकास:**
 - **2010 संशोधन:** वशिष्ट व्यक्तियों अथवा संघों द्वारा वदिशी अंशदान की स्वीकृति तथा उपयोग को नयित्तरति करने वाले नयिमों को सुव्यवस्थित करने एवं राष्ट्रीय हितों के लिये हानिकारक गतिविधियों की रोकथाम हेतु संबद्ध योगदान को प्रतर्बिधित करने के लिये इसे अधनियिमित किया गया था।
 - **2020 संशोधन:**
 - संबद्ध **गैर सरकारी संगठनों (NGO) के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा** तथा केवल भारतीय स्टेट बैंक के साथ नामित FCRA बैंक खातों के माध्यम से वदिशी अंशदान की प्राप्तिकी जा सकेगी।
 - वदिशी अंशदान के घरेलू अंतरण पर पूर्ण प्रतर्बिध।
 - प्रशासनिक व्यय सीमा को **50% से घटाकर 20%** किया गया।
- **प्रयोज्यता:** FCRA वदिशी अंशदान प्राप्त करने के इच्छुक सभी संघों, समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।
 - निर्धारित मानदंडों के अनुपालन करने पर इसके नवीनीकरण की संभावना के साथ प्रारंभ में इसे **5 वर्षों** के लिये वैध किया गया था।
- **वदिशी अंशदान के उद्देश्य:** पंजीकृत संघ सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिये वदिशी अंशदान प्राप्त

कर सकते हैं।

■ **नगिरानी/अनुश्रवण प्राधिकरण: गृह मंत्रालय**

- वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों को वास्तविक समय में सुरक्षा पहुँच के लिये कोर बैंकिंग सुविधाओं वाले बैंकों में खाते संचालित करने का आदेश दिया।
- वर्ष 2023 में MHA ने FCRA-पंजीकृत NGO के लिये नियमों में संशोधन किया जिसके तहत अब उन्हें अपनी वार्षिक वविरणी/रटिर्न में वदेशी अंशदान के उपयोग से **सृजति परसिपत्तिका खुलासा करना आवश्यक** हो गया है।

भारत में NGO को कैसे वनियमति किया जाता है?

■ **परचिय:**

- जैसा कि विश्व बैंक द्वारा परभाषित किया गया है, **गैर-सरकारी संगठन** उन गैर-लाभकारी संगठनों को संदर्भित करते हैं जो पीड़ा को दूर करने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास करने के लिये गतिविधियाँ करते हैं।

- हालाँकि, भारत में NGO शब्द संगठनों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को दर्शाता है जो गैर-सरकारी, अर्ध या अर्ध सरकारी, स्वैच्छिक या गैर-स्वैच्छिक आदि हो सकते हैं।

■ **पंजीकरण एवं वनियमन:** मुख्यतः NGO **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 8 के तहत **ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी** के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण और शासन के लिये प्रत्येक फॉर्म के अपने नियम और वनियम हैं।

- **ट्रस्ट:** **भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882** या समकक्ष राज्य कानूनों द्वारा शासित, जिसके लिये चैरिटी आयुक्त के कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
- **सोसायटी:** **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** या इसके राज्य-वशिष्ट विधिताओं के तहत सोसायटी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत।
- **धारा 8 कंपनियाँ:** वाणिज्यिक कंपनियों के समान पंजीकृत लेकिन **गैर-लाभकारी उद्देश्यों के साथ**।

■ **NGO-दर्पण प्लेटफॉर्म:** यह गैर सरकारी संगठनों और केंद्रीय मंत्रालयों/वभागों/सरकारी निकायों के बीच इंटरफेस के लिये स्थान प्रदान करता है।

- यह सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच बेहतर साझेदारी लाने और **बेहतर पारदर्शिता, दक्षता तथा जवाबदेही को बढ़ावा** देने के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से **नीतिआयोग** द्वारा दी जाने वाली एक निःशुल्क सुविधा है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. क्या सविलि सोसायटी और गैर-सरकारी संगठन आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिये लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतमान की चुनौतियों की वविचना कीजिये। (2021)